63 न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3474-तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-5-2014 - पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी, बान्धवगढ़ जिला उमरिया - प्रकरण क्रमांक 107/2012-13 अपील

रामकिशोर पुत्र रामसहाय महरा ग्राम सलैया
रायपुरा तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया ---आवेदक

विरूद्ध

1- कोशलप्रसाद मृतक वारिस

क- श्रीमती सिरवतियावाई पत्नि स्व.कौशलप्रसाद

ख- अम्बोजी पुत्र स्व. कोशलप्रसाद पत्नि धनवान मेहरा
ग्रापम मजमानीकलां तहसील उमरिया जिला उमरिया

2- फूलचंद पुत्र जीवन महरा

3- राममनोहर पुत्र श्यामसुन्दर महरा

4- श्रीमती मंदोवाई पतिन रामप्रताप महरा

5- नत्थू पुत्र श्यामसुन्दर मेहरा सभी ग्राम मानीकलॉ
तहसील उमरिया जिला उमरिया ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामउजागर सिंह)

(रिस्पा के अभिभाषक श्री रमेशकुमार मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 07-03 -2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, बान्धवगढ़ जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 107/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-5-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 89 पर आदेश दिनॉक 3-5-1990 से किये गये नामान्तरण के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बांधवगढ़ के समक्ष अपील कमांक 107/2012-13 प्रस्तुत की एंव अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन भी दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 27-5-14 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक को तर्क है कि ग्राम की नामान्तरण पंजी पर हुये वारिसाना नामान्तरण आदेश दिनांक 3-5-90 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 27-5-12 को अपील प्रस्तुत की गई है जो अवधि वाह्य है क्योंकि वादित भूमियों का बटवारा पिता व्दारा पुत्रों के बीच कर दिया गया था और 50 वर्ष पूर्व हुये बटवारे को पुत्रों के पुत्रों व्दारा चेलेंज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने धारा-5 के गलत तथ्यों को स्वीकार किया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, बान्धवगढ़ जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 107/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-5-14 को निरस्त किया जावे।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदकगण के Grand father सरमनराम महरा थे जिनके चार पुत्र थे जिनमें से नीलकंठ, झुल्लू, हीरालाल व जीवन थे। नीलकंठ के कोई ओलाद नहीं थी इसलिये उनका हिस्सा तीन भाईयों को गया। रामकिशोर का सरमनराम से एंव उनके चारों पुत्रों से कोई नाता नहीं है और यह सरमनराम के खानदान का भी नहीं है परन्तु राजस्व निरीक्षक/ तहसीलदार से सॉठगॉठ करके चुपचाप नामान्तरण पंजी पर 3-5-90 से गलत आधारों पर नामांत्रण कराया है और जब रामकिशोर भूमि पर 28-5-12 को कब्जा करने गया एंव कब्जे की धोंस दी तब जाकर नामान्तरण की जानकारी ली गई और नकल मिलने पर एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई है, उन्होंने अपील के तथ्यों को सही मानकर न्याय करने के

लिये अपील सुनवाई में ली है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश सही है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह सही है कि नामान्तरण आदेश दिनांक 3-5-90 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 27-5-12 को यानि 22 साल वाद अपील प्रस्तुत की गई है और 22 साल से अधिक विलम्ब को अनुविभागीय अधिकारी बांधनवगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 27-5-14 से क्षमा किया है। परिसीमा अधिनियम , 1963 की धारा 5 में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। अवधि विधान की धारा-5 सहपठित म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 के अंतर्गत आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्धांत अंतर्ग्रस्त हो तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित) अतएव पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त कारणों से विलम्ब क्षमा करने में त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, बान्धवगढ़ जिला उमरिया व्दारा प्रकरण क्रमांक 107/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-5-14 उचित पाये जाने से निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर